Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

मेघाकंवर पुत्री शैतानसिंह (पत्नी लिछुसिंह) जाति राजपूत निवासी कालूबास श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम मनीष कुमार वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 19 /2023 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.02.2023	आज यह प्रार्थना पत्र मेघा कंवर ने जरिये श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 91 तादादी 5.35 हैक्टेयर खेत खसरा नंबर 210 तादादी 6.5400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 235 तादादी 9.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 71 तादादी 20.1100 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही कितासर बीदावतान एवं खेत खसरा नंबर 127 तादादी 6.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 73 तादादी 18.7600 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि वाकेरोही शीतलनगर तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थी को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 17.03.2023 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.03.2023 को पेश हों । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
2.3.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थिनी द्वारा मूल वाद को विड्रॉ किये जाने पर पेशी में ली गई। मूल वाद जरिये विड्रॉवल में निस्तारित किया [illegible] पत्रावली [illegible] अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर)	मेघा (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.04.05 17:20:23 IST
Reason: SelfAttested